न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 126/2018
अन्तर्गत धारा :— 212 आर.टी.एक्ट

उनवान प्रकरण

1. शंकर पिता लेहरू जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा

——प्रार्थी

बनाम

1. जमना पत्नि हांसू जाट निवासी सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।
2. भैरू पिता मोती जाट निवासी जवासिया तहसील रेलमंगरा जिला राजसमंद
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर (भीलवाड़ा)

——विपक्षीगण

अधिवक्ता प्रार्थी: श्री अभिनव पुरोहित
अधिवक्ता विपक्षीगण: श्री महेश दाधीच

निर्णय

दिनांक 11.08.2020

प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सरगांव पटवार हल्का सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 121 में वर्णित आराजी संख्या 2466 रकबा 0.56 हे0 , 2467 रकबा 0.50 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.06 हे0 इसी प्रकार खाता संख्या 412 में वर्णित आराजी संख्या 2470 रकबा 0.88 हे0 भूमि स्थित है। जिसके लिए जमाबंदी संवत् 2071 से 2074 प्रस्तुत है।

यह कि चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात के साबिक नम्बर 1381 रकबा तीन बीघा, 1383 रकबा 18 बिस्वा, 1384 रकबा 18 बिस्वा, 1385 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा, 1386 रकबा 01 बीघा 11 बिस्वा, 1387 रकबा 01 बीघा 19 बिस्वा जिसके लिए मिलान क्षैत्रफल व साबिक जमाबंदी पेश है।

यह कि उक्त वर्णित साबिक नम्बर तत्कालीन खातेदार कालू पिता होक्मा के नाम दर्ज रेकार्ड थी, जिससे प्रार्थी के दादा ऊंकार व जवाहर मल पिता बेणा जाट ने बिल एवज पांच सौ रूपये में दिनांक 23.12.1949 को क्रय किया व आधिपत्य प्राप्त किया तब से प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वज अपने 1/2 हिस्से पर काबिज चले आ रहे है व काश्त लाभ लेते आ रहे है। तथा मृतक ऊंकार के एक मात्र पुत्र लेहरूलाल उनके एक मात्र उत्तराधिकारी प्रार्थी शंकरलाल है, इसी प्रकार जवाहरमल पिता बेणा के तीन पुत्र हेमराज, दयाराम, तुलसीराम है जिनमें से हेमराज का निधन हो गया है उसके वारिस भैरू व दोली होकर जिनका हिस्सा 1/2 निहित है एवं वादी का 1/2 हिस्सा निहित है।

यह कि उक्त वर्णित साबिक आराजियात 1381, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387 को प्रार्थी के पूर्वाधिकारी ऊंकार पिता बेणा जाट ने 1/2 हिस्सा एवं जवाहरमल पिता बेणा जाट ने 1/2 हिस्सा बिल एवज 500/— में पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय किया तथा पंजीकृत विक्रय पत्र को प्रार्थी के पूर्वाधिकारियों ने राजस्व कर्मचारियों ... राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से तत्समय नामान्तरण नहीं ... उक्त आराजियात कालू पिता होक्मा जाट के नाम गलत रूप से अंकित रह जाने से कालू पिता होक्मा जाट ने इन्हीं आराजियात में से

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

1381, 1383, 1384 कुल किता 03 कुल रकबा 5 बीघा 10 बिस्वा जिसके नवीन नम्बर आराजी संख्या 2470 रकबा 0.88 हे0 भूमि दुबारा मोती वल्द जुवारमल जाट निवासी जवारिया विपक्षी संख्या दो के पूर्वजों को 22.05.1976 को विक्रय कर दी जो आरम्भ से ही अवैध होकर शून्य है क्योंकि उक्त आराजियात पूर्व में ही प्रार्थी के पूर्वजों को विधिवत् जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से विक्रय कर आधिपत्य सिपुर्द कर दिया जिससे पुनः उक्त भूमियां विक्रय नहीं हो सकती , जिससे विपक्षी संख्या 02 के पूर्वज मोती को दिया गया विक्रय पत्र आरम्भ से प्रार्थी के मुकाबले अवैध होकर शून्य है जिससे विपक्षी संख्या 02 को कोई अधिकार पैदा नहीं होते है तथा शेष भूमि कालू वल्द होकमा जाट के नाम गलत अभिलिखित रह जाने से कालू का निधन हो जाने पर विपक्षी संख्या एक के नाम विरासत का नामान्तरण से गलत अभिलिखित हो गई, जबकि विपक्षी संख्या एक के पूर्वाधिकारी ने प्रार्थी के पूर्वाधिकारी ऊंकार पिता वेणा जाट को 1/2 हिस्सा पूर्व में ही विक्रय कर चुके है तथा मौके पर प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वजों का 1/2 हिस्से पर विगत 69 वर्षों से आधिपत्य चला आ रहा है व काश्तलाभ लेते चले आ रहे है जिससे विपक्षी संख्या एक व दो का कभी दखल नहीं रहा है। विपक्षी संख्या एक के पूर्वाधिकारी उक्त भूमि को पंजकृत विक्रय पत्र से विक्रय कर चुके है व नामान्तरकरण कार्यवाही जो कि संक्षिप्त कार्यवाही है जो मात्र लगान के लिए है जबकि हक अधिकार पंजीकृत विक्रय पत्र से हस्तान्तरित होते है। मृतक हांसू के निधन के बाद नामान्तरण विपक्षी संख्या एक के पक्ष में निर्णित किया गया जो अवैध होकर शून्य है जिससे प्रार्थीया को कोई अधिकार पैदा नहीं है।

यह कि न्यायालय आप में विचाराधीन वाद प्र0सं0 85/2017 में वाद व काउन्टर क्लेम के निस्तारण में समय लगने की संभवना है लेकिन विपक्षी संख्या एक जमना व विपक्षी संख्या दो भेरू के नाम दर्ज उक्त भूमि गलत अभिलिखित रह जाने से विपक्षी संख्या एक व दो तथा मृतक जवाहरमल के वारिस ने आपस में नाजायज साठगांठ करके दुर्भिसंधि कर ली है तथा पूर्व में चल रही अस्थायी निषेधाज्ञा को भी विड्रो कर लिया व वाद को भी विड्रो करने व प्रार्थी का आधिपत्य हटाने व उक्त भूमियों को हस्तान्तरित करने व ऋणभार बढ़ाने पर आमादा है जिससे अगर उक्त भूमि विपक्षी संख्या एक व दो अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपने हक से महरूम हो जायेगा, इसके मुकाबले विपक्षी संख्या एक व दो को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है व सुविधा सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। जिससे ताफैसला वाद अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना हैं कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षीगण के विरूद्ध ताफैसला वाद व काउन्टर क्लेम (अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0ए0) के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की पारित फरमायी जावे कि विपक्षी संख्या एक व दो ग्राम सरगांव पटवार हल्का सरगांव तहसील सह[illegible] जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 121 में वर्णित आराजी संख्या 2466 रकबा 0.56 हे0 , 2467 रकबा 0.50 [illegible] किता 02 कुल रकबा 1.06 हे0 इसी प्रकार खाता संख्या 412 में वर्णित [illegible] भूमि में प्रार्थी के 1/2 हिस्से को विक्रय नहीं करे , प्रार्थी [illegible] व प्रार्थी के 1/2 हिस्से के कब्जो काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे ऐसा कृत्य न तो विपक्षी [illegible] संख्या एक व दो स्वयं करें, न अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 24.09.2018 को पंजिबद्ध किया जाकर विपक्षी को सम्मन नोटिस जारी किये गये। विपक्षी संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। 4 पेरोकार सरकार औपचारिक पक्षकार होने से जवाब की आवश्यकता नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है। विपक्षी संख्या 01 व 02 को जवाब हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं अतः जवाबदेही बंद की जाती है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत निवेदन किया।

इसी प्रकार विपक्षीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को मनगंढ़त व असत्य होना बताकर विरोध जाहिर किया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0 एक्ट का खारिज करने हेतु निवेदन किया है।

मैनें पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा प्रस्तुत बहस पर मनन किया। अस्थाई निषेधाज्ञा के **तीनों बिन्दुओं का विवेचन** किया गया जो इस प्रकार है:–

प्रथम दृष्टया मामला विपक्षी संख्या एक व दो उक्त भूमि को अन्य को हस्तान्तरित कर देते है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी व प्रार्थी अपने हक से महरूम हो जायेगा, इसके मुकाबले विपक्षी संख्या एक व दो को अपूरणीय क्षति होने की कोई संभावना नहीं है। प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

द्वितीय बिन्दु सुविधा का संतुलनः– चूंकि वाद वर्णित आराजियात का विभाजन नहीं हुआ है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा निहित है। अतः सुविधा व संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होती है।

तृतीय बिन्दु अपूरणीय क्षतिः– विर्णित आराजियात क्रय शुदा संपति है जिससे विपक्षीगण कब्जेदार स्वामित्व है। प्रार्थी द्वारा ऐसी कल्पना की हैं कि उक्त आराजियात विपक्षी संख्या एक व दो अन्य को हस्तान्तररित कर देंगे जिससे अपूरणीय क्षति होगी। अतः बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में साबित होने से प्रा0पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतएवं

–::आदेश::–

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु साबित होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिया जाता है कि ग्राम सरगांव पटवार हल्का सरगांव तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा के खाता संख्या 121 में वर्णित आराजी संख्या 2466 रकबा 0.56 हे0 , 2467 रकबा 0.50 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.06 हे0 इसी प्रकार खाता संख्या 412 में वर्णित आराजी संख्या 2470 रकबा 0.88 हे0 भूमि में प्रार्थी के 1/2 हिस्से व कब्जे काश्त में मूलवाद के ताफैसला किसी प्रकार का व्यवधान नहीं करें व मौके एवं रेकार्ड की यथा स्थिति बनाये रखें।

आदेश दिनांक 11.08.2020 को खुले इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) जिला भीलवाड़ा (राज.) गंगापुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.01.05 16:40:58 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
गंगापुर जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner